# न्यायालय जिला न्यायाधीश, राजसमंद (राज.)

**पीठासीन न्यायाधीश : अनंत भंडारी, आरजेएस**
**(डी.जे. कैडर)**

**मूल दीवानी वाद सं. 24/2018**

**सी.आई.एस. नम्बर 24/2018**

(CNR No. RJRSO10012852018)

दिनेश पुत्र शंकरलाल जैन, निवासी भूडाण, तहसील व जिला राजसमन्द

———वादी

**बनाम**

1. श्रीमती लक्ष्मी बेवा स्वर्गीय सोहनसिंह राजपूत
2. जीवनसिंह पुत्र स्वर्गीय सोहनसिंह राजपूत
3. मंगलसिंह पुत्र स्वर्गीय सोहनसिंह राजपूत
4. देवेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय सोहनसिंह राजपूत

   सभी निवासी भूडाण तहसील व जिला राजसमन्द, हाल शिव बिल्डिंग प्लॉट नम्बर 201, 202 विजय नगर मरोल मरोसी रोड़ अन्धेरी (पूर्व) मुम्बई
5. श्रीमती पुष्पा पत्नी भोपसिंह (पुत्री स्वर्गीय सोहनसिंह) राजपूत निवासी भूडाण हाल निवासी डबकुडीया, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द
6. श्रीमती कमला पत्नी मंगलसिंह (पुत्री स्वर्गीय सोहनसिंह) राजपूत निवासी भूडाण, हाल निवासी गोपालपुरा वाया आमेट, जिला राजसमन्द

**———प्रतिवादीगण**

**उपस्थित :—**

1. श्री प्रवीण मण्डावेरा, विद्वान अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय।

**वाद वसूली रूपये 20,25,000/—**

**::निर्णय::**

**दिनांक : 04.05.2022**

**1.** वादी दिनेश की ओर से प्रतिवादीगण श्रीमती लक्ष्मी व अन्य के विरूद्ध रकम वसूली का यह वाद इस न्यायालय में दिनांक 08.01.2018 को इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादीगण स्वर्गीय सोहनसिंह के विधिक उत्तराधिकारी होकर प्रतिवादी संख्या 1 स्वर्गीय सोहनसिंह की पत्नी, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 स्वर्गीय सोहनसिंह के पुत्र व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 स्वर्गीय सोहनसिंह की

पुत्रियां हैं। उक्त सभी प्रतिवादीगण स्वर्गीय सोहनसिंह की सम्पत्ति पर काबिज होकर विरासत से उसकी सम्पत्तियों के मालिक होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं, ऐसे में प्रतिवादीगण स्वर्गीय सोहनसिंह की देनदारी के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी स्वर्गीय सोहनसिंह ने व्यापार के लिये रूपयों की आवश्यकता होना बताकर वादी से भूडाण, तहसील राजसमन्द में दिनांक 24.01.2015 को 15,00,000/– रूपये नकद ऋण पेटे प्राप्त कर उसी दिन एक प्रोमेसरी नोट वादी के पक्ष में निष्पादित कर दिया व उक्त राशि वादी द्वारा मांग किये जाने पर एक प्रतिशत मासिक ब्याज के अदा करने का वचन दिया। इसके कुछ समय पश्चात सोहनसिंह का स्वर्गवास हो गया, जिस पर वादी ने दिनांक 30.11.2016 को अपने अधिवक्ता के जरिये प्रतिवादीगण को पंजीकृत नोटिस भेजकर उक्त राशि की मांग की लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया। वादी प्रतिवादीगण से 15,00,000/– रूपये मूल व उक्त राशि पर दिनांक 24.01.2015 से 24.12.2017 तक 35 माह का ब्याज 5,25,000/– रूपये कुल 20,25,000/– रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद हेतुक लेनदेन की दिनांक 24.01.2015 को उत्पन्न होना बताते हुए अन्त में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को प्रतिवादीगण से 20,25,000/– रूपये व इस राशि पर दावा दायरी से अदायगी तक 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने की प्रार्थना की।

**2.** प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए, जिस पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

**3.** वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत की गई, जिसमें वादी दिनेश के बयान पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में लेखबद्ध किये गये, जिसने मुख्य परीक्षण में अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया एवं दो अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 2 हिम्मतसिंह व पी.डब्ल्यू. 3 अनिल के शपथपत्र भी साक्ष्य में प्रस्तुत किये हैं। न्यायालय में वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 23 प्रस्तुत किये गये।

**4.** वादी के अधिवक्ता को सुना गया।

**5.** न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय बिन्दु है कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 के पति व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 के पिता सोहनसिंह ने वादी से व्यापार के लिये रूपयों की आवश्यकता होने पर 15 लाख रूपये नकद ऋण पेटे प्राप्त किये और प्रोमेसरी नोट निष्पादित किया ?

**6.** वादी की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई, उसमें वादी पी.डब्ल्यू. 1 दिनेश ने शपथपूर्वक यह बयान दिये हैं कि प्रतिवादीगण स्वर्गीय सोहनसिंह के विधिक उत्तराधिकारी होकर प्रतिवादी संख्या 1 स्वर्गीय सोहनसिंह की पत्नी, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 स्वर्गीय सोहनसिंह के पुत्र व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 स्वर्गीय सोहनसिंह की पुत्रियां हैं। उक्त सभी प्रतिवादीगण स्वर्गीय सोहनसिंह की सम्पत्ति पर काबिज होकर विरासत से उसकी सम्पत्तियों के मालिक होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं, ऐसे में प्रतिवादीगण स्वर्गीय सोहनसिंह की देनदारी के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। आगे यह भी कथन किया कि प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी स्वर्गीय सोहनसिंह ने व्यापार के लिये रूपयों की आवश्यकता होना बताकर वादी से भूडाण, तहसील राजसमन्द में दिनांक 24.01.2015 को 15,00,000/– रूपये नकद ऋण पेटे प्राप्त कर उसी दिन एक प्रोमेसरी नोट वादी के पक्ष में निष्पादित कर दिया व उक्त राशि वादी द्वारा मांग किये जाने पर एक प्रतिशत मासिक ब्याज के अदा करने का वचन दिया। इसके कुछ समय पश्चात सोहनसिंह का स्वर्गवास हो गया, जिस पर वादी ने दिनांक 30.11.2016 को अपने अधिवक्ता के जरिये प्रतिवादीगण को पंजीकृत नोटिस भेजकर उक्त राशि की मांग की लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया गया। वादी प्रतिवादीगण से 15,00,000/– रूपये मूल व उक्त राशि पर दिनांक 24.01.2015 से 24.12.2017 तक 35 माह का ब्याज 5,25,000/– रूपये कुल 20,25,000/– रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है। आगे यह भी कथन किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रोमेसरी नोट मय रसीद प्रदर्श 1, नोटिस की प्रति प्रदर्श 2, पोस्टल रसीद प्रदर्श 3 से 12, ए.डी. रसीद प्रदर्श 13 व 14, लौटे हुए लिफाफे प्रदर्श 15 से 22 तक, जमाबंदी की नकल प्रदर्श 23 है। प्रोमेसरी नोट व रसीद प्रदर्श 1 पर ए से बी प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी सोहनसिंह के हस्ताक्षर है।

**7.** वादी की ओर से प्रोमेसरी नोट प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी ने सोहनसिंह के हस्ताक्षर ए से बी होना बताया। वादी की ओर से प्रस्तुत अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 2 हिम्मतसिंह व पी.डब्ल्यू. 3 अनिल ने भी सोहनसिंह द्वारा प्रोमेसरी नोट प्रदर्श 1 निष्पादित किया जाना कहा है एवं पी.डब्ल्यू. 2 हिम्मतसिंह व पी.डब्ल्यू. 3 अनिल ने भी उनके द्वारा प्रोमेसरी नोट प्रदर्श 1 पर बतौर साक्षी अपने हस्ताक्षर करना बताया है। पी.डब्ल्यू. 1 ने अपने शपथपत्र के

बयानों में सोहनसिंह द्वारा रूपयों की आवश्यकता बताकर भूडाण तहसील राजसमन्द में दिनांक 24.01.2015 को 15 लाख रूपये नकद ऋण पेटे प्राप्त करना बताया है, ऐसे में वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में सोहनसिंह द्वारा 15 लाख रूपये वादी से प्राप्त किया जाना कहा है एवं दिनांक 24.01.2015 को एक प्रोमेसरी नोट निष्पादित करना बताया है। प्रोमेसरी नोट प्रदर्श 1 प्रस्तुत हुआ है जिससे गवाह द्वारा कहे गये इस कथन की ताईद होती है कि सोहनसिंह द्वारा राशि 15 लाख रूपये वादी से ऋण पेटे प्राप्त किये गये। आगे वादी पी.डब्ल्यू. 1 ने यह भी कथन किया है कि कुछ समय पूर्व सोहनसिंह का स्वर्गवास हो गया। उसके वारिसों से रकम 15 लाख रूपये मूल एवं उस पर ब्याज अदा करने के लिये मांग की गई थी, परन्तु भुगतान नहीं किया गया। वादी की ओर से वादी द्वारा दिया गया नोटिस प्रदर्श 2 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्राप्ति रसीद व प्रतिवादी पुष्पा व कमला को नोटिस की प्राप्ति रसीद भी पेश की है। अतः वादी ने यह स्पष्ट किया है कि वादी द्वारा उधार दिये जाने के पश्चात सोहनसिंह का निधन हो गया एवं उसके वारिसों ने रकम का भुगतान नहीं किया। वादी पी.डब्ल्यू. 1 ने अपने बयानों में यह स्पष्ट किया है कि सोहनसिंह की सम्पत्ति उसके वारिसों को प्राप्त हुई, जिसके संबंध में जमाबंदी की सत्य प्रति प्रदर्श 23 है। ऐसे में वादी ने यह प्रकट किया है कि प्रतिवादीगण सोहनसिंह के उत्तराधिकारी है एवं सोहनसिंह की सम्पत्ति प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई है, जिसकी ताईद में प्रदर्श 23 प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा दिये गये बयानों का खण्डन प्रतिवादी की ओर से नहीं हुआ है, ऐसे में वादी ने यह स्थापित किया है कि वादी ने 15,00,000/—रूपये की राशि सोहनसिंह को उधार दी थी, जिसके संबंध में सोहनसिंह ने प्रोमेसरी नोट प्रदर्श 1 निष्पादित किया। सोहनसिंह की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसों ने रकम व ब्याज की अदायगी नहीं की। सोहनसिंह की सम्पत्ति प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

**8.** परिणामस्वरूप वादी दिनेश की ओर से प्रतिवादीगण लक्ष्मीदेवी व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत यह वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं यह आदेश दिया जाता है कि वादी प्रतिवादीगण से 15,00,000/— रूपये (पन्द्रह लाख रूपये) की राशि व उस पर दिनांक 24.01.2015 से 24.12.2017 तक 35 माह का ब्याज

5,25,000/– रूपये कुल 20,25,000/– रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी उक्त राशि 20,25,000/– रूपये पर वाद प्रस्तुति की दिनांक 08.01.2018 से 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकार होगा। वादी वाद खर्चा भी प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादी को उक्त राशि का भुगतान दो माह में करेंगे। पर्चा डिक्री बनाया जावे।

**(अनंत भंडारी)**
**जिला न्यायाधीश,राजसमन्द**

**9**. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक **04.05.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(अनंत भंडारी)**
**जिला न्यायाधीश,राजसमन्द**